उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-85/2020/एस-2-2099/दस-2020-88क(1)2018

लखनऊ :: दिनॉक:18 दिसम्बर,2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क की अधिकारी श्रीमती साधना श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहूजी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर को एतदद्वारा उनके अपने कार्यो के साथ-साथ वित्त अधिकारी, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

2- श्रीमती श्रीवास्तव को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्या कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या-85/2020/एस-2-2099(1)/दस-2020, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- कुलपति/कुल सचिव, छत्रपति शाहूजी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर
3- कुलपति/कुल सचिव, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर ।
7- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।